राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

क्रमांक – एफ27(5)8/टीएफसी/डीईएस/संस्था आधार/2022/02 दिनांक 03.01.2023

आदेश

राज्य के समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों के द्वारा किसी भी प्रकार के अनुदान/लाभ/सेवाऐं देने या लेने के लिये बिजनिस रजिस्टर जिसे अब **संस्था आधार** के नाम से जाना जायेगा, के पंजीकरण करवा लेने के बाद ही प्रदान किया जायेगा।

राज्य के समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों को निर्देशित किया जाता है कि "**संस्था आधार**" राजस्थान की संलग्न मार्गदर्शिका के अनुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

क्रमांक – एफ27(5)8/टीएफसी/डीईएस/संस्था आधार/2022/03-199 दिनांक 03.01.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी सचिवालय जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त एवं समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी योजना भवन जयपुर।
7. उप/सहायक निदेशक, समस्त जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी

राजस्थान सरकार

राजस्थान संस्था आधार योजना

संस्था आधार नम्बर आपके संस्था की पहचान

मार्गदर्शिका

सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर

''संस्था आधार''

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	1
2	प्रस्तावना	1
3	उद्देश्य	2
4	संस्था आधार नम्बर	2
5	एक से अधिक कार्यालय होने पर	3
6	संस्था आधार पोर्टल एवं पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया	3
7	समस्त लाभ एवं सेवाओं की प्रदायगी	4
8	प्रमाणीकरण (Authentication/Verification)	5
9	पोर्टल्स का एकीकरण	5
10	लीगेसी डेटा को संस्था आधार पोर्टल पर पोर्ट करना	6
11	संस्था आधार में अद्यतन	6
12	संस्था आधार का निरस्तीकरण	8
13	प्रशासनिक व्यवस्था	9
14	संस्था आधार का नोडल विभाग	9
15	तकनीकी नोडल विभाग	9

1. पृष्ठभूमि

13वें वित्त आयोग, भारत सरकार की अनुशंषा पर वर्तमान में राज्य के सभी प्रतिष्ठान/व्यवसाय, जो पहले से स्थापित है या जो उद्यमी प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखते है, उन सभी उद्यमों के लिए बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी कर तथा मुख्य आर्थिक गतिविधि कोड राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008 (समस्त आर्थिक गतिविधियाँ) के द्वारा निर्धारित करके उद्यमों का एक विशिष्ठ ढाँचा विकसित किया जाकर बिजनिस रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से डिजिटल बिजनिस रजिस्टर तैयार किया गया। यह सभी उप–क्षेत्रों यथा व्यापार, होटल, रेस्टोरेन्ट, परिवहन, संचार, भू–राजस्व, कानूनी व व्यापारिक सेवायें, उद्योग, फैक्ट्री एवं अन्य वे सभी क्रियाकलाप जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में सम्मिलित है तथा राज्य आय में योगदान देते हैं, के आकड़ों का संकलन हैं।

अब तक 12.95 लाख से अधिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी किए जा चुके हैं एवं राज्य में प्रतिदिन लगभग 700–800 ऑनलाईन बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर (BRN) जारी किए जा रहे हैं।

2. प्रस्तावना

संस्था आधारित विभिन्न योजनाओं के लाभ एवं सेवाओं को सरलता, सुलभता एवं पारदर्शी रूप से देने के उदेश्य से **एक नम्बर एक पहचान** की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **संस्था आधार** योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। जिसके तहत राज्य के समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान/लाभ देने या लेने एवं सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित की जायेगी।

वर्तमान में प्रदेश में स्थित संस्थाओं को बिजनेस रजिस्टर योजना के माध्यम से आधार एवं जन–आधार के प्रमाणीकरण द्वारा एक यूनिक आईडी **बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर** (BRN) प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों के द्वारा किसी भी प्रकार के अनुदान/लाभ/सेवाऐं देने या लेने के लिये बिजनिस रजिस्टर जिसे अब **संस्था आधार** के नाम से जाना जायेगा, के लेने के उपरान्त ही प्रदान किया जायेगा तथा इसका विवरण **संस्था आधार पोर्टल** से साझा किया जायेगा।

3. उद्देश्य

1. राज्य के समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं /निजी उद्यमों को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी प्रकार के लाभ एवं सेवाऐं प्रदान करना।
2. राज्य के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं /निजी उद्यमों के आर्थिक सांख्यिकीय सूचनाओं के डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक संस्था को **एक नम्बर एक पहचान** प्रदान किया जाना, जिसे संस्था की पहचान के रूप में मान्यता प्रदान कराना।
3. सभी संस्थाओं के व्यय, अनुदान एवं लाभ देने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म का उपयोग करना जिससे कि राज्य की नीति निर्धारण में एवं संस्था संबंधित योजनाओं को विकसित करने में इसका उपयोग किया जा सके।
4. नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से तथा गैर नकद लाभ, आधार/जन–आधार अधिप्रमाणन उपरान्त देय।
5. विभागों द्वारा प्रदत्त उद्यमों को सेवाओं/रियायतों/लाभों की पात्रता का निर्धारण कर संस्था आधार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाना।
6. राज्य में विद्यमान उद्यमों को एक ही तकनीकी ढांचे में लेकर सुदृढ़ीकरण करना।
7. नये स्थापित किये जाने वाले उद्यमों की सुविधा के लिए क्षेत्रवार/जिलेवार उद्यम संबंधी आकडें उपलब्ध कराना।
8. राज्य में व्यवसायिक क्रियाकलापों हेतु किए जाने वाले सांख्यिकीय सर्वेक्षण के लिए Sampling Frame की उपलब्धता।

4. संस्था आधार नम्बर

1. राज्य के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं /निजी उद्यमों को **संस्था आधार** में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।
2. समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यम ''**संस्था आधार नम्बर**'' प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
3. संस्था आधार नम्बर के आवेदन हेतु विभागों/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी/सरकारी/ गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों के प्रमुख/मालिक अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही आवेदन किया जायेगा।
4. समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों को एक 16 अंकीय **संस्था आधार नम्बर** प्रदान किया जायेगा।

5. यह 16 अंकीय नम्बर सेन्सस कोड पर आधारित हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 6 अंक गांव के सेन्सस कोड एवं अगले 4 अंक हाई ऑर्डर जीरो एवं अन्तिम 6 अंक क्रमिक नम्बर होंगें इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में प्रथम 6 अंक कस्बे के सेन्सस कोड एवं अगले 4 अंक वार्ड नम्बर एवं अन्तिम 6 अंक क्रमिक नम्बर होंगें।
6. विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन नम्बर के स्थान पर राज्य के सभी संस्थाओं को **संस्था आधार नम्बर** उपलब्ध करवाया जायेगा जो संस्था आधारित बहुउद्देशीय नम्बर होगा ।
7. समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों द्वारा संस्था आधार डेटा रिपोजिटरी में दर्ज सूचनाओं को स्वयं ही समय समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतन करवाया जायेगा।
8. संस्था आधार डेटा रिपोजिटरी से अन्य पंजीयन पोर्टल यथा उद्यम आधार, एलडीएमएस, राजफेब आदि को एकीकृत कर रिवर्स सिंडिग Reverse Seeding भी किया जायेगा ।
9. संस्था आधार में नामांकन होने पर उसके मालिक (Owner) के आधार/जनआधार संख्या को पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

5. एक से अधिक कार्यालय होने पर

समस्त विभागो/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों का एक से अधिक कार्यालय होने पर शीर्ष कार्यालय (Head Office) संस्था आधार नम्बर प्राप्त करेंगें तथा अधीनस्थ कार्यालय को संस्था आधार नम्बर के लिए आवेदन करते समय शीर्ष कार्यालय की जानकारी BRN सहित प्रदान करनी होगी। अधीनस्थ कार्यालय को शीर्ष कार्यालय के संस्था आधार नम्बर के साथ मैपिंग करते हुए नया नम्बर जारी कर दिया जायेगा।

6. संस्था आधार पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया

- पूर्व में बीआर पोर्टल के माध्यम से राज्य के समस्त उद्यमों एवं संस्थाओं द्वारा एक यूनीक आईडी BRN प्राप्त किया जा रहा था। इसी क्रम में वर्तमान में बीआर पोर्टल को वृहद रूप देते हुए **संस्था आधार पोर्टल** किया जा रहा है तथा राज्य में स्थित समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों से संबंधित लाभ तथा सेवाएं संस्था आधार पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी।

- आवेदक संस्था आधार पोर्टल **https://br.raj.nic.in** पर स्वंय अथवा ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कर **''संस्था आधार नम्बर''** प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके लिए आवेदक द्वारा अपने आधार/जन–आधार के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने पर आवेदक की पहचान स्वतः सत्यापित हो जाती है एवं आवेदक को आवेदन प्रपत्र भरने के तुरन्त बाद ही **16 अंको** का **संस्था आधार नम्बर** प्राप्त हो जायेगा।
- आधार/जनआधार के अतिरिक्त अन्य आई.डी. यथा– वोटर कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य द्वारा आवेदन करने पर आवेदक का सत्यापन **संस्था आधार रजिस्ट्रेशन केन्द्र** (जिला/ब्लॉक स्तर पर) द्वारा किया जाएगा इसके पश्चात् ही **संस्था आधार नम्बर** जारी किया जाएगा।
- **''संस्था आधार नम्बर''** को पेन **(PAN)** एवं **GSTIN** द्वारा भी इसका सत्यापन किया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया बाद में अवगत करा दी जावेगी।
- **''संस्था आधार नम्बर''** की पंजीयन की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ठ–'अ' पर संलग्न है एवं आवेदन प्रपत्र परिशिष्ठ–'ब' पर संलग्न है।

7. समस्त लाभ एवं सेवाओं की प्रदायगी

समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों को सभी प्रकार के लाभ एवं सेवाओं की प्रदायगी देने एवं लेने के लिए संस्था आधार नम्बर अनिवार्य होगा। जिसके लिए समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों 15 जनवरी, 2023 तक अपने नियमों में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

भविष्य में राज्य द्वारा समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों को समय समय पर दिये जाने वाले सभी लाभ एवं सेवाऐं संस्था आधार नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही देय होगें जिसके लिए वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगें।

- **समस्त लाभ** – राज्य द्वारा समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों को समय समय पर दिये जाने वाले सभी लाभ यथा सब्सिडी, ब्याज मे छूट, टेक्स में छूट, अनुदान आदि।
- **समस्त सेवाएं–** राज्य द्वारा समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों को समय समय पर दिये जाने वाले सभी सेवाएं यथा ऋण, आयात–निर्यात संबंधी सेवाएं, अनुदान, रियायत, सुविधाएं, आदि।

8. प्रमाणीकरण

- बीआरएन/सस्था आधार नम्बर प्राप्त करने के लिए फर्म/प्रतिष्ठान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार यह बीआरएन/सस्था आधार के आवेदक के व्यवसाय को प्रमाणित नहीं करता है और न ही उसके फर्म/प्रतिष्ठान की वैद्यता को प्रमाणित करता है। संस्था आधार नम्बर किसी भी प्रकार की पात्रता को प्रमाणित नहीं करता है।
- संस्था आधार नम्बर किसी को भी व्यवसाय प्रारम्भ करने का लाईसेन्स प्रदान नहीं करता है।
- संस्था आधार नम्बर व्यवसाय से सम्बन्धित विवरण यथा मालिक, व्यवसाय का पता, व्यवसायिक ईकाई का नाम, कार्यो आदि को प्रमाणित नहीं करता है।
- संस्था आधार नम्बर किसी भी प्रकार के लाभ एवं सेवाऐं देने या लेने की पात्रता का निर्धारण नहीं करता है। विभागों द्वारा ही प्रदत्त उद्यमों को सेवाओं/रियायतों/लाभों की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
- यह एक सांख्यिकीय ऑकडो का संकलन है जिसका उपयोग राज्य की नीति निर्माण व योजनाओं के क्रियान्वयन में लिया जायेगा।

9. पोर्टल्स का एकीकरण

- समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न योजनाओं के लाभों से संबंधित पोर्टलस को **संस्था आधार** पोर्टल से एकीकृत किया जायेगा।
- एकीकरण के पश्चात संबंधित विभागों के पोर्टल/एप्लीकेशनस द्वारा योजनाओं के लाभ एवं सेवाएं **संस्था आधार नम्बर** के माध्यम से ही दिये जायेगे तथा इसका विवरण **"संस्था आधार"** पोर्टल से साझा किया जायेगा।
- विभागों की जिन योजनाओं के डेटा बेस एवं ऑनलाईन पोर्टल पर वर्तमान में बीआर नम्बर प्राप्त करने के लिए फिल्ड उपलब्ध नहीं है वे सभी विभाग अपने पोर्टल्स पर संस्था आधार नम्बर प्राप्त करने का प्रावधान करवायेंगे।
- सभी विभाग अन्य आवश्यक फील्ड भी संस्था आधार पोर्टल में सृजित करवायेगें।

10. लीगेसी डेटा को संस्था आधार पोर्टल पर पोर्ट करना

समस्त विभागों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशाषी/सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/निजी उद्यमों जो कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक इकाइयों व गैर सरकारी संस्थाओं को लाभ/सुविधा/अनुदान आदि दे रही है अथवा ले रही है। अपने लीगेसी डेटा को आवश्यक फील्ड्स (बीआरएन सहित) **संस्था आधार** पोर्टल पर दिनांक 15 जनवरी, 2023 तक पोर्ट करवायेंगे। इस हेतु अधिक जानकारी के लिये सम्बन्धित विभाग की तकनीकी टीम द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से सम्पर्क किया जायेगा।

11. संस्था आधार में अद्यतन

''संस्था आधार नम्बर'' प्राप्त करने के पश्चात् उसमें आवश्यक संशोधन हेतु संस्था आधार पोर्टल पर संस्था आधार Updation Request की सुविधा उपलब्ध है। संस्था आधार में व्यवसाय के पते में जिला, तहसील, वार्ड नं. के अलावा अन्य सभी सूचनाओं अद्यतित की जा सकती है।

1. आवेदक में परिवर्तन होने की स्थिति में :

- **फर्म के बेचान की स्थिति में (1) :** यदि पूर्व में आवेदक फर्म का मालिक था और फर्म का बेचान किसी ओर को हो जाने की स्थिति में आवेदक परिवर्तित होता है तो, नये मालिक को चाहिए की वह प्रथम मालिक की सहमति से संस्था आधार नम्बर में आवेदक परिवर्तित करने हेतु आवेदन करेगा। जिसके लिए पूर्व के फर्म मालिक के दूरभाष पर आये OTP के माध्यम से इस संशोधन के लिए आवेदन करना होगा।

- **फर्म के बेचान की स्थिति में (2) :** फर्म को बेचान हो गया परन्तु उस समय संस्था आधार में आवेदक परिवर्तित किसी कारणवश नहीं हो पाया है, एवं अब नया फर्म मालिक आवेदक परिवर्तित करवाना चाहता है जबकि पुराने मालिक से दूरभाष OTP भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि आवेदक से प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं यथासम्भव पूर्व फर्म मालिक से ई–मेल के जरिये सहमति प्राप्त की जाए।

- **आवेदक परिवर्तित होने की स्थिति में :** फर्म का मालिक पूर्ववत है एवं केवल आवेदक परिवर्तित करवाना है तो, फर्म मालिक के हस्ताक्षरयुक्त लेटरहेड पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. फर्म का पता परिवर्तित होने की स्थिति में :

- फर्म के पते में Housing/ building no., lane street एवं Pin code ही परिवर्तित किया जा सकता है, वो भी जब की पूर्व में भूलवश गलत भरा गया हो।
- फर्म को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने पर (if District, Tehsil, Town/village, ward No. not change) की स्थिति में चाहिए कि आवेदक से प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र द्वारा फर्म मालिक से ई–मेल के जरिये सहमति प्राप्त की जाए।

3. फर्म के नाम परिवर्तित होने की स्थिति में :

यदि संस्था आधार जारी होने के पश्चात् फर्म का मालिक फर्म के नाम में संशोधन करवाना चाहता है, यदि भूलवश फर्म को नाम गलत लिख दिया गया हो, तो आवेदक से प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र द्वारा सहमति प्राप्त की जाए।

4. आवेदन पत्र में अन्य डाटा परिवर्तित होने की स्थिति में :

किसी भी तरह की अन्य सांख्यिकीय सूचना के परिवर्तन के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किये गये जा रहे उद्घोषणा के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संस्था आधार रजिस्ट्रार को आवश्यक है कि किसी भी तरह की सूचना परिवर्तन से पूर्व उपलब्ध सभी संसाधनों के माध्यम से आवेदन की सत्यता सुनिश्चित करें।

ऑफलाईन अद्यतन प्रक्रिया :–

आवेदक द्वारा अद्यतन हेतु ऑफलाईन आवेदन निम्न स्थिति में किये जा सकते है जिसके अन्तर्गत राज संस्था आधार पोर्टल पर उपलब्ध राज संस्था आधार अपडेशन फार्म को भरकर आवेदक द्वारा ई–मेल या संस्था आधार केन्द्र पर प्रस्तुत करना होगाः–

- यदि संस्था आधार के आवेदन पत्र में आवेदक का विवरण उपलब्ध न होने पर (सर्वे के दौरान जारी किये गये बीआरएन)

- आवेदक द्वारा आधार नं. के अतिरिक्त अन्य आई.डी. द्वारा संस्था आधार प्राप्त करने पर यदि संस्था आधार के आवेदन पत्र में दिये गये मोबाईल नं. या ई–मेल आवेदक के पास उपलब्ध न होने की स्थिति में।

12. संस्था आधार का निरस्तीकरण

संस्था आधार नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् उसको निरस्तीकरण हेतु संस्था आधार पोर्टल पर संस्था आधार Cancellation Request की ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध है।

- संस्था आधार केवल उन्हीं परिस्थितियों में निरस्त करवाया जा सकता है जबकि–
  - एक ही फर्म/प्रतिष्ठान के भूलवश एक से अधिक संस्था आधार प्राप्त कर लिये गये हो।
  - फर्म के पूर्ण रूप से बंद/अक्रियाशील होने की स्थिति में ।
  - फर्म के स्थान (यथा–जिला, तहसील, ग्राम, शहर, कस्बा, वार्ड नं.) में परिवर्तन होने की स्थिति में ।
- उपरोक्त के अतिरिक्त संस्था आधार में अन्य किसी भी परिवर्तन हेतु राज संस्था आधार को अद्यतित करवाया जा सकता है। इसके लिए संस्था आधार निरस्त नही किया जायेगा।
- संस्था आधार निरस्त करने की स्थिति में आवेदक जिला/ब्लॉक संस्था आधार रजिस्ट्रार को प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगें जिसमें आवश्यक रूप से उल्लेख किया गया हो कि **"निरस्त किये जाने वाले संबंधित संस्था आधार को उसने कही भी एवं किसी भी प्रकार के कार्य के लिए उपयोग में नही लिया गया है।"**

अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गये संस्था आधार नम्बर के संबंध में अतिरिक्त जिला बिजनेस रजिस्ट्रार किसी भी प्रकार की शिकायत के संबंध में जांच कर, जांच रिपोर्ट जिला बिजनेस रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर अनुमोदन लेगें एवं जांच में गलत पाये गये संस्था आधार नम्बर को अपने स्तर पर निरस्त कर इसकी सूचना निरस्तीकरण के पश्चात् राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार को प्रेषित करेंगे।

13. प्रशासनिक व्यवस्था

सांख्यिकी विभाग संस्था आधार का प्रशासनिक विभाग होगा एवं राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संस्था आधार के कार्य के लिए निम्नानुसार व्यवस्था करती है:–

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन राज्य संस्था आधार रजिस्ट्रार
संयुक्त निदेशक (संस्था आधार) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन अतिरिक्त राज्य संस्था आधार रजिस्ट्रार
समस्त जिला कलेक्टर	पदेन जिला संस्था आधार रजिस्ट्रार
समस्त जिला उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन अतिरिक्त जिला संस्था आधार रजिस्ट्रार
समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन ब्लॉक संस्था आधार रजिस्ट्रार

राज्य स्तर पर पदेन राज्य संस्था आधार रजिस्ट्रार तथा जिला स्तर पर पदेन अतिरिक्त जिला संस्था आधार रजिस्ट्रार एवं ब्लॉक स्तर पर पदेन ब्लॉक संस्था आधार रजिस्ट्रार द्वारा संस्था आधार से सम्बंधित सम्पूर्ण कार्य का पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण किया जावेगा। सभी जिलों के उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों एवं ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों को संस्था आधार रजिस्ट्रेशन केन्द्र के रूप में कार्य करेगें।

14. संस्था आधार का नोडल विभाग

निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी, सांख्यिकी विभाग राजस्थान **''संस्था आधार''** का नोडल विभाग होगा।

15. तकनीकी नोडल विभाग

बिजनेस रजिस्टर पोर्टल को NIC (राज्य सूचना विज्ञान केंद्र) द्वारा विकसित किया गया था एवं NIC द्वारा ही इसका संधारण किया जा रहा है। बिजनेस रजिस्टर पोर्टल के स्थान पर संस्था आधार पोर्टल का संधारण भी NIC द्वारा ही किया जायेगा।